दैनिक जागरण
एक बड़ी सफलता कई नाकामियों का हिसाब बराबर कर देती है

एक निशान-एक विधान

मोदी है तो मुमकिन है नारे के साथ सत्ता में लौटी मोदी सरकार ने वह कर दिखाया जिसका सपना देश न जाने कब से देख रहा था। आजादी के बाद जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के जरिये विशेष अधिकारों से लैस करने की ऐतिहासिक गलती को ठीक करने के लिए जिस राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत थी उसका प्रदर्शन किया जाना समय की मांग थी। यह मांग इसलिए और बढ़ गई थी, क्योंकि मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौटी थी और उसने यह वादा भी कर रखा था कि वह अनुच्छेद 370 को हटाएगी। इसके अतिरिक्त इस सच की भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह अनुच्छेद अलगाववाद का जरिया बन गया था। बीते कुछ दशकों में कश्मीर के स्वार्थी नेताओं और पाकिस्तानपरस्त तत्वों ने कश्मीर घाटी में एक ऐसा माहौल बना दिया था कि वहां का एक वर्ग यह मानने लगा था कि वह शेष देश से इतर है। धीरे-धीरे यह भाव न केवल अलगाववाद में तब्दील हो रहा था, बल्कि कश्मीर की राजनीतिक समस्या को खतरनाक तरीके से मजहबी आवरण भी धारण कर रही थी। कश्मीर के विशेष अधिकारों को उसकी आजादी की बेतुकी मांग का जरिया बनाने की जैसी कोशिश हो रही थी और पाकिस्तान जिस तरह आग में घी डालने का काम कर रहा था उसे देखते हुए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो गया था कि कोई ठोस फैसला लिया जाए। यह स्वागतयोग्य है कि मोदी सरकार ने ऐसा फैसला लेने का साहस दिखाया। अपने साहसिक फैसले के जरिये मोदी सरकार ने केवल भाजपा की पुरानी मांग को ही पूरा नहीं किया, बल्कि कश्मीर के हालात ठीक करने के लिए लीक से हटकर एक बड़ी पहल भी की। कश्मीर पर यह बड़ी पहल अगस्त में आई एक और क्रांति की तरह है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही जम्मू-कश्मीर का नए सिरे से गठन करने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिए गए हैं। अब लद्दाख जम्मू-कश्मीर से अलग होकर बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा युक्त केंद्र शासित प्रांत। इसके सकारात्मक नतीजे मिलने ही चाहिए। मोदी सरकार ने अलगाववाद को पोषित करने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के साथ ही विभेदकारी 35-ए को निष्प्रभावी करके जम्मू-कश्मीर को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने की दिशा में तो ठोस कदम उठाया ही, राष्ट्रीय एकीकरण को भी नए सिरे से बल प्रदान किया। एक निशान-एक विधान की भावना वाले इस फैसले से केवल कश्मीर का समुचित विकास ही सुनिश्चित नहीं होगा, बल्कि कश्मीर के आम लोगों को शेष भारत से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वे खुद को पहले भारतीय मानना शुरू करेंगे।

> आखिर सरकार के फैसले का विरोध कर रहे राजनीतिक दल किस आधार पर अनुच्छेद 370 को पसंद कर रहे हैं?

इस पर हैरानी नहीं कि अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के फैसले का कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समेत कुछ अन्य दलों ने विरोध किया, लेकिन इन दलों के नेताओं की ओर से ऐसी कोई दलील नहीं दी जा सकी जिसे दमदार कहा जा सके। यह आश्चर्यजनक है कि विपक्षी दल ऐसी कोई दलील का इंतजाम तब नहीं कर सके जब वे यह अच्छी तरह जान रहे थे कि मोदी सरकार कश्मीर पर कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है और यह फैसला अनुच्छेद 370 और 35-ए से संबंधित हो सकता है। यह सही है कि लोकतंत्र में विरोध के लिए विरोध की राजनीति भी होती है, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं कि राष्ट्र की दिशा-दशा तय करने वाले किसी ऐतिहासिक फैसले पर भी ऐसी राजनीति की जाए। समझना कठिन है कि आखिर सरकार के फैसले का विरोध कर रहे राजनीतिक दल किस आधार पर अनुच्छेद 370 को पसंद कर रहे हैं? क्या वे इससे अनजान हैं कि यह विषम परिस्थितियों में किया गया एक अस्थायी प्रावधान था? क्या वे इससे परिचित नहीं कि अनुच्छेद 370 के साथ 35-ए ने किस तरह आम कश्मीरियों और खासकर वहां के वंचित, दलित और पिछड़े तबकों के अधिकारों पर कुठाराघात किया है? अगर इन विभेदकारी अनुच्छेदों ने किसी का हित किया है तो केवल कश्मीर के मुट्ठी भर नेताओं का। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि जो अनुच्छेद अस्थायी था उसे कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाले तत्व के रूप में पेश किया जा रहा था। कश्मीर के भारत से जुड़ाव के लिए किसी अस्थायी संवैधानिक व्यवस्था को आधार बताना देश की हजारों बरस पुरानी सांस्कृतिक विरासत की अनदेखी के अतिरिक्त और कुछ नहीं।

कश्मीर पर बड़ा फैसला

विवेक काटजू

> यदि पाक अनुच्छेद 370 के मसले को सुरक्षा परिषद में उठाए तो भारत को यही संदेश देना होगा कि अब परिषद का कश्मीर मुद्दे से कोई सरोकार नहीं

स्वतंत्र भारत के राष्ट्र जीवन में यह एक ऐतिहासिक पड़ाव है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को संसद में बताया कि जम्मू-कश्मीर राज्य मौजूदा स्वरूप में समाप्त किया जा रहा है और उसके स्थान पर अब दो केंद्रशासित प्रदेश होंगे। पहला जम्मू-कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में नहीं। इस बड़े बदलाव के पीछे कई कारण भी बताए गए हैं। लद्दाख के मामले में कहा जा रहा है कि केंद्रशासित दर्जा लद्दाखियों की आकांक्षाएं पूरी करने में मददगार होगा। इससे भी महत्वपूर्ण मसला जम्मू-कश्मीर का है। जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की पहल के पीछे की वजह आंतरिक सुरक्षा स्थिति बताई गई है। इस स्थिति के लिए सीमा पार आतंकवाद जिम्मेदार है। यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय को साफ संकेत है कि तीन दशकों से आतंकवाद का दामन पकड़े रहने वाले पाकिस्तान को अब इससे बाज आना चाहिए। पाकिस्तानी पोषित आतंकवाद ने जम्मू-कश्मीर की जनता का जीवन नरक बना दिया है। अब सरकार ने जो कदम उठाया है उससे यह उम्मीद लगाई जा सकती है कि इससे पाक प्रायोजित आतंक पर लगाम लग पाएगी। गृहमंत्री ने यह भी एलान किया कि जम्मू-कश्मीर का जो विशेष दर्जा था वह भी वापस लिया जाएगा। इसके साथ ही यह आस लगाई जा सकती है कि राज्य की जनता खासतौर से कश्मीर घाटी के लोगों के विकास की जरूरतों पर विशेष ध्यान देते हुए इस इलाके की प्रगति के लिए तेजी से कदम उठाए जाएंगे।

अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक वर्ग को कठघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि कश्मीरी नेताओं ने कश्मीरी अवाम की तरक्की पर ध्यान नहीं दिया और अपनी स्वार्थ सिद्धि एवं राजनीति चमकाने में ही लगे रहे। सरकार के ये कदम विशेषकर जम्मू-कश्मीर को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह भारत से जोड़ने में सहायक हो सकते हैं। अब तक जैसे जम्मू-कश्मीर के लोग भारत के अन्य भागों में कारोबार कर सकते थे, जमीन-जायदाद खरीद सकते थे वैसे ही उम्मीद की जा सकती है कि भारत के अन्य राज्यों के लोग भी कश्मीर में जाकर वहां की विकास प्रक्रिया में पूर्ण रूप से शामिल हो सकते हैं। घाटी में खासतौर से इस बात को लेकर डर रहा है कि अगर ऐसा कदम उठाया जाएगा तो फिर कश्मीर की जनसांख्यिकी में बदलाव आ सकता है। ये आशंकाएं सही नहीं हैं। भारत के अन्य प्रदेशों के लोग किसी कतार में नहीं खड़े हैं कि वे जल्द से जल्द कश्मीर में जा बसेंगे। ऐसे में फौरी तौर पर ही नहीं, बल्कि भविष्य में भी घाटी की जनता को यह आश्वासन दिलाने की महती आवश्यकता है कि न केंद्र सरकार और न ही कोई अन्य राजनीतिक शक्ति उनके धर्म या उनकी परंपराओं में किसी तरह का हस्तक्षेप करना चाहती है। हां, अलगाववाद को कभी मंजूर नहीं किया जा सकता और धार्मिक कट्टरपंथी तत्वों पर नियंत्रण रखना और कट्टरपंथी विचारधारा को समाप्त करना जरूरी है। पाकिस्तान के 'फिफ्थ कॉलम' यानी पाकिस्तानपरस्त तत्वों को भी खत्म करना है, लेकिन सरकार का दायित्व है कि वह कश्मीर की आम जनता को विकास का भरोसा दिलाते हुए यह भी विश्वास दिलाए कि उसके रोजमर्रा के जीवन में भी कोई दखलंदाजी नहीं होगी।

अवधेश राजपूत

यह साफ है कि कश्मीर के राजनीतिक वर्ग पर सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रहार किया है। इसी कारण अपने सभी मतभेदों को भुलाते हुए वे एकजुट हो गए हैं। वास्तव में यह वह राजनीतिक वर्ग है जो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार और शेख अब्दुल्ला के बीच हुए समझौते के बाद अस्तित्व में आया। उस करार के तहत अब्दुल्ला ने कश्मीर को स्वतंत्र भारत का एक हिस्सा माना और कश्मीर के लिए स्वतंत्रता का दावा त्याग दिया। इसके बदले जम्मू-कश्मीर का विलय भारत में स्वायत्तता की शर्त पर हुआ। स्वतंत्रता और स्वायत्तता में जमीन-आसमान का फर्क है। 1953 में भारत सरकार को जब लगा कि शेख अब्दुल्ला स्वायत्तता को छोड़कर स्वतंत्रता की दिशा ढूंढ रहे हैं तो सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन राज्य में ऐसे राजनीतिक तत्व थे जिन्हें स्वायत्तता मंजूर थी और उन्होंने भारत सरकार के साथ सहयोग जारी रखा। 1971 के बाद कश्मीर की राजनीति ने नई करवट ली और शेख अब्दुल्ला ने स्वतंत्रता का सपना छोड़ दिया और भारत सरकार के साथ समझौता करके राज्य सरकार की बागडोर संभाली। चार दशकों से ज्यादा की इस अवधि में भारत सरकार ने कश्मीर की बुनियादी संवैधानिक स्वायत्तता कायम रखी जिसकी वजह से वहां के राजनीतिक वर्ग को यह भरोसा हुआ कि यह यथास्थिति बरकरार रहेगी। शायद उन्होंने संघ परिवार की कश्मीर को लेकर विचारधारा को नजरंदाज किया। इसी कारण राज्य की सियासी बिरादरी को लग रहा है कि उसने भारत सरकार से स्वायत्तता को लेकर जो सहमति वाला समझौता किया था उसमें अब उसके साथ विश्वासघात हुआ है। यह सोच गलत है।

कश्मीर के संवैधानिक परिवर्तन से पाकिस्तान व्याकुल के साथ-साथ क्रोधित भी है। पाकिस्तान सरकार ने एलान किया है कि वह पूरी कोशिश करेगी कि भारत इन कदमों को वापस ले। पाक इस्लामिक देशों के संगठन यानी ओआइसी का दरवाजा पहले ही खटखटा चुका है। सुरक्षा परिषद में भी वह इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप सहित दुनिया के अन्य दिग्गज नेताओं पर भी इसमें हस्तक्षेप का दबाव डालेगा। वह यह भी दुष्प्रचार करेगा कि भारत के इस फैसले से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ेगा जिससे विश्व शांति खतरे में पड़ सकती है। वह अपने प्रतिनिधिमंडल भेजकर महाशक्तियों की दृष्टि कश्मीर पर केंद्रित करने की कोशिश कर सकता है। संभव है कि पाक सरकार ट्रंप को यह संदेश भेजे कि मौजूदा हालात में वह उससे अफगान मसले पर सहयोग की अपेक्षा न करें, क्योंकि अब उसका पूरा ध्यान अपने पूर्वी मोर्चे पर होगा।

भारत सरकार ने राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया है, लेकिन अब उसको आंतरिक मोर्चे पर यह साबित करना पड़ेगा कि यह कदम भारत के राष्ट्रीय हितों को पोषित करेगा। सरकार को ऐसे तत्वों को प्रोत्साहन देना होगा जो कश्मीर घाटी के लोगों में भारत के प्रति अच्छी भावनाएं विकसित कर सकें ताकि स्थानीय लोग भारतीय संघ के प्रति लगाव रखते हुए प्रत्येक स्तर पर भारतीय राष्ट्र जीवन का हिस्सा बन सकें। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को यह स्पष्ट करना होगा कि यह संवैधानिक कदम भारत के आंतरिक मामलों से जुड़ा है और इसमें किसी देश या संस्था का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा। खासतौर से अगर पाक इस मामले को सुरक्षा परिषद में उठाने की कोशिश करे तो भारत को यह संदेश मजबूती से देना पड़ेगा कि अब परिषद का कश्मीर के मामले से कोई सरोकार नहीं। इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय कूटनीति का भी एक इम्तिहान होगा।

(लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं)

response@jagran.com

दुरुस्त हुई एक ऐतिहासिक गलती

दिव्य कुमार सोती

> अन्याय की हद तब हुई जब कश्मीरी नेताओं ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ कालोनियां तक नहीं बनने दीं

आखिरकार दशकों के इंतजार के बाद जम्मू-कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लिया गया। इससे एक ऐतिहासिक गलती को ठीक किया गया। गत दिवस गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 को हटाने का संकल्प पत्र पेश किया। इस हेतु केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी कर भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू कर दिया। चूंकि अनुच्छेद 370 के तहत ऐसा करने के लिए जम्मू-कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश की आवश्यकता होती इसलिए राष्ट्रपति ने संविधान के निर्वचन के लिए प्रदत्त अनुच्छेद 367 में एक धारा जोड़ते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर संविधान सभा से आशय राज्य विधानसभा समझा जाए। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में संविधान सभा दोबारा बुलाने की संभावना और जरूरत समाप्त हो गई। चूंकि फिलहाल राज्य में विधानसभा भंग है और वहां राज्यपाल शासन लागू है इसलिए विधायी शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्यपाल के केंद्र का प्रतिनिधि होने के कारण उसकी शक्तियां संसद में निहित हैं। यहां यह समझना जरूरी है कि अनुच्छेद 370 को संवैधानिक पेचीदगियों के चलते संवैधानिक संशोधन करके खत्म नहीं किया गया और न ही उसमें संशोधन किया गया, बल्कि सरकार ने इसी अनुच्छेद का इस्तेमाल कर इसके प्रावधानों का अर्थ बदल दिया।

एक तरह से अनुच्छेद 370 का संवैधानिक शुद्धिकरण करने की कोशिश की गई ताकि यह जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण में बाधा न रह जाए। भविष्य में इस संबंध में कुछ और कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि बीते सात दशकों में विसंगतियों की सूची काफी लंबी हो चुकी है। इसके साथ ही अनुच्छेद 35ए जैसे प्रावधान जिसके तहत जम्मू-कश्मीर राज्य को मूल निवासी की परिभाषा तय करने की शक्ति प्राप्त थी, के भी समाप्त होने का रास्ता खुल गया। अनुच्छेद 35ए के निष्प्रभावी होने बाद अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर में बस सकेगा और संपत्ति भी खरीद पाएगा। यह देखने वाली बात होगी कि इन संवैधानिक बदलावों का सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35ए को लेकर लंबित याचिकाओं पर क्या असर होगा, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि गृहमंत्री ने जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक भी पेश कर दिया है। इसके पारित होने पर सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण लद्दाख एक केंद्र शासित राज्य बन जाएगा, जिसमें कोई विधानसभा नहीं होगी। लद्दाख में पहले ही हिल काउंसिल को काफी अधिकार प्राप्त हैं और संभावना है कि उन्हें जारी रखा जाए। लद्दाख क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से यह मांग थी कि लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाए। लद्दाख के भूभाग पर चीन भी दावा जताता रहा है। फिलहाल सामरिक रूप से अतिसंवेदनशील इस क्षेत्र का प्रशासन एक आइएएस अधिकारी के हाथ में होता है। अब इस क्षेत्र को उपराज्यपाल और मुख्य सचिव चलाएंगे।

जबसे कश्मीर में अलगाववाद की समस्या शुरू हुई तबसे जम्मू आधारित पार्टियों और सामाजिक संगठनों की यह मांग रही कि उन्हें कश्मीर से अलगकर पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। इसके लिए प्रजा परिषद जैसी जम्मू की पार्टियां बड़े आंदोलन भी कर चुकी हैं। इसके अलावा विस्थापित कश्मीरी पंडित भी अपने लिए एक छोटे केंद्र शासित प्रदेश की मांग करते रहे हैं। इसके विरोधी इसे सांप्रदायिक आधार पर राज्य को बांटने की योजना बताकर इसकी आलोचना करते रहे। इस मांग को मानने में एक जोखिम यह था कि मुस्लिम बहुल कश्मीर के पूरी तरह अलग राज्य होने पर अन्य समुदायों का वहां के शासन में दखल बिल्कुल ही समाप्त हो जाए। शायद इसीलिए मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर को साथ ही रखते हुए उसे केंद्र शासित राज्य का दर्जा देने की व्यवस्था की। इसी के साथ प्रदेश में परिसीमन का रास्ता भी साफ हो गया, जिसे कश्मीर की पार्टियों ने विधानसभा में प्रस्ताव लाकर 2026 तक टाल दिया था जबकि पूरे देश में 2006 में परिसीमन हुआ था। मोदी सरकार के ताजा फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार तो होगी, पर दिल्ली सरकार की तरह कई महत्वपूर्ण अधिकार उसके पास नहीं होंगे। इससे केंद्र सरकार को आतंकवाद को कुचलने में मदद मिलेगी।

अनुच्छेद 370, 35-ए और परिसीमन के जरिये घाटी के नेताओं ने कश्मीर में जेहाद को संरक्षण देकर कई गंभीर समस्याएं पैदा कीं। इन समस्याओं ने कश्मीर को हर प्रकार की देश विरोधी गतिविधि का गढ़ बना डाला और पाकिस्तान को भारत के अंदर युद्ध छेड़ने का मैदान मुहैया कराया। इसके चलते पिछले सात दशकों में हमें हजारों सैनिकों और नागरिकों को गंवाना पड़ा। अनुच्छेद 370 और 35-ए जैसे संवैधानिक प्रावधानों का लाभ उठाकर ही ऐसी स्थिति पैदा की गई कि लाखों कश्मीरी पंडितों और सिखों को रातोंरात अपना घरबार छोड़कर भागना पड़ा। 1947 में पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए शरणार्थियों को पूरे देश में नागरिकता मिल गई, लेकिन जम्मू-कश्मीर पर सात दशक से राज करते रहे घाटी के नेताओं ने वहां यह भी नहीं होने दिया। अन्याय की हद तब हुई जब कश्मीरी नेताओं ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ कालोनियां तक नहीं बनने दीं। यही नहीं घोर सांप्रदायिक माहौल ने घाटी में कट्टरपंथ को इतनी हवा दी कि बात अलगाववाद से आगे बढ़ती-बढ़ती बुरहान वानी और जाकिर मूसा के जरिये कश्मीरी युवाओं को बगदादी के इस्लामिक स्टेट जैसे शासन के सपने दिखाने तक आ गई। कश्मीर की मस्जिदें राजनीति का केंद्र बना दी गईं और कश्मीरी युवाओं का शेष भारत से संवाद तकरीबन खत्म कर दिया गया। इसका असर यह हुआ कि घाटी के युवाओं का जेहादी विचारों के अलावा किसी और प्रकार के विचारों के संपर्क ही खत्म हो गया। उम्मीद की जाती है कि ताजा संवैधानिक बदलावों के बाद शेष भारत के लोगों का वहां आना-जाना, बसना और व्यापार करना बढ़ेगा जिससे घाटी में ताजा हवा के झोंके आएंगे।

(लेखक काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

परिवर्तन

किसी पुष्प की कली के प्रस्फुटन और एक शिशु के इस धरती पर प्रादुर्भाव के बारे में संजीदगी से सोचें तो यह सत्य समझते देर नहीं लगती है कि ये दोनों कोई सामान्य कुदरती घटनाएं नहीं हैं। इन दोनों घटनाओं की कोख में दुनिया की धारणीयता और ब्रह्मांड-विस्तार के भ्रूण छुपे हैं। कलियों के प्रस्फुटन में महज एक फूल के समग्र जीवन-चक्र का रहस्य ही नहीं छुपा होता है, बल्कि इसमें कायनात के समस्त जीवों, प्राणियों और पादपों के अस्तित्व की निरंतरता भी जीवित हो उठती है। किसी कली से पुष्प और शिशु से मानव-निर्माण की प्राकृतिक प्रक्रिया में जो सबसे सारगर्भित दर्शन सामने आता है, वह यह है कि इस नश्वर संसार में परिवर्तन एक शाश्वत और चिरंतन सत्य है।

शून्य से शिखर और जन्म से मृत्यु-परिवर्तन अबाध गति से चलता रहता है। इससे समय भी अछूता नहीं है। वक्त का हर लम्हा अपनी रफ्तार से निरंतर गुजरता-सा जा रहा है। अर्थात इस दुनिया की सबसे स्थायी शै परिवर्तन है, लेकिन दुर्भाग्यवश हर व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तनों से घबराता है। वह जीवन को एक ढर्रे पर जीना चाहता है, परिवर्तन के करवटों से महफूज रहने का हर संभव प्रयास करता है और जीवन में कुछ अप्रत्याशित और अनियोजित घट जाए तो खुद को अभिशप्त महसूस करता है। नदियों के पानी के बहाव में आईने सरीखी पारदर्शिता होती है, क्योंकि यह निरंतर बहता रहता है। परिवर्तनों से घबराने वाले व्यक्ति 'कंफर्ट जोन' में रहना पसंद करते हैं और यही कारण है कि उनके सपनों के संसार का क्षितिज काफी छोटा होता है। वक्त के साथ हर पल बदलने वाला और हवा के बदलते रुख के साथ खुद को समायोजित करके चलने वाला इंसान ही जीवन में उन ख्वाबों को साकार कर पाता है जिनकी चाहत इस धरती पर जन्म लेने वाले हर इंसान को होती है। जीवन चलने का नाम है। जीवन का स्थिर होना ही इसका अवसान है, मृत्यु है। जीवन है तो परिवर्तन है, परिवर्तन की गैर-मौजूदगी ही जीवन का अंत है और यही संसार का नियम है।

श्रीप्रकाश शर्मा

हथियारों की होड़ बढ़ने की आशंका

मंजूषा

> आइएनएफ संधि खत्म होने से दुनिया में अंतरिक्ष सैन्यीकरण और परमाणु हथियारों के विकास की होड़ शुरू हो सकती है

परमाणु हथियारों के नियंत्रण को लेकर अमेरिका और रूस के बीच 1987 में हुई इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज (आइएनएफ) संधि खत्म हो गई है। इस संधि को शीतयुद्ध के तनाव वाले माहौल से दुनिया को शांति और सहअस्तित्व के दौर में लाने का श्रेय दिया जाता है। इससे दुनिया में नए परमाणु हथियारों के विकास की होड़ शुरू होने क
अगला
का ग०
डोनाल
एलान
को अलग कर रहे हैं। इसके बाद बीते एक फरवरी को अमेरिका ने आइएनएफ संधि को निलंबित कर दिया था। जवाब स्वरूप रूस ने भी संधि को निलंबित कर दिया। अब दोनों देश एक-दूसरे को जिम्मेदार बताते हुए औपचारिक तौर पर इस संधि से अलग हो गए हैं।

आइएनएफ संधि पर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्वाच्योव ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत मध्यम दूरी यानी 5500 किलोमीटर तक मार करने वाली कई मिसाइलों को प्रतिबंधित किया गया था। अमेरिका का
ई वर्षों से ऐसे हथियार
इस संधि का उल्लंघन
र उसके सहयोगी देशों
ारा पैदा हो गया है। इस
कि खुद अमेरिका नई
ना चाह रहा है इसलिए
ाए बहाना बना रहा है।

समझौता मानता है, लिहाजा वह नए सिरे से संधि करने पर अड़े हैं। ट्रंप प्रशासन चीन को भी इसमें शामिल करना चाहता है। हालांकि चीन इसमें शामिल होने की बात सिरे से खारिज करता रहा है। ऐसे में इस संधि के टूटने से एक बात साफ है कि परमाणु सशस्त्रीकरण पर अंकुश लगाने वाला दौर अब समाप्ति के मुहाने पर है। हथियारों की होड़ का एक नया दौर शुरू होने वाला है। इसकी आशंका इससे मिलती है कि अमेरिका में एक नए अंतरिक्ष बल के गठन के प्रस्ताव पर काम शुरू हो गया है। इसके अलावा फ्रांस ने भी घोषणा किया है कि उसकी एयर फोर्स में जल्द ही एक स्पेस कमान गठित की जाएगी जिसका काम खास तौर पर फ्रांस के उपग्रहों की रक्षा करने का होगा। जाहिर है जब अमेरिका और रूस जैसे देश संहारक हथियारों का उत्पादन बढ़ाएंगे को ऐसे माहौल में फिर
भी चुप नहीं बैठे रहेंगे। वे भी अपनी
ो लेकर सक्रियता दिखाएंगे। दूसरे
कह सकते हैं कि शीतयुद्ध से मुक्ति
ग तीस साल बाद दुनिया अंतरिक्ष
ा और परमाणु सशस्त्रीकरण के एक
ें प्रवेश कर रही है।

(लेखिका शिक्षिका हैं)

मेलबाक्स

तसलीमा को मिले भारत की नागरिकता

'पैरों तले जमीन की तलाश' शीर्षक से लिखा तसलीमा नसरीन का आलेख पढ़ा। उसे पढ़ने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि सच में हमारी सरकार उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। एक तरफ करोड़ों बांग्लादेशी गैर कानूनी रूप से भारत में रह रहे हैं और दूसरी तरफ एक महिला कानूनी रूप से रहने की इजाजत मांग रही है तो उसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि तसलीमा नसरीन को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए।

अरुण दीक्षित, लखीमपुर

ऐतिहासिक कदम

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35-ए को समाप्त कर मोदी सरकार ने लौह पुरुष सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को पूरा करते हुए एक बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया है। इस ऐतिहासिक कदम को देश और दुनिया कभी नहीं भूल सकती। यह वही कश्मीर है जो पाकिस्तानी आतंकियों का बड़ा अड्डा बना हुआ है। हर रोज हमले होते रहते हैं। यहां कश्मीरी पंडितों की दर्दनाक व्यथा देखी ही नहीं जाती थी। यही नहीं छत्तीसिंहपुरा में सिखों के नरसंहार की दुखद घटना भी भूली नहीं जाती। हद तो तब हो गई जब अपने ही निर्दोष और देश के रक्षक सेना के जवानों को पत्थरबाजों ने नहीं बख्शा। बहरहाल सरकार के इस कदम से अब कश्मीर के लोगों का भी विकास होगा, नए-नए कल कारखाने लगेंगे और लोगों को अच्छा रोजगार मिलेगा। अभी तक यहां के लोग सिर्फ टूरिज्म पर ही आश्रित हैं। असल में यह देश में एक नई क्रांति है जिससे निश्चित ही देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी।

वेद मामूरपुर ,नरेला

विरोधियों का भी मिला समर्थन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए साहसिक फैसले ने देश के इतिहास को बदल कर रख दिया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय भूगोल के जिस रूप की चर्चा होती है उसे बिना किंतु-परंतु के एक रंग में रंगने का प्रयास 370 को हटाकर किया गया है। इतिहास, भूगोल, समाज, संस्कृति में बदलाव और समन्वय लाकर राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। ऐतिहासिक फैसले, ऐतिहासिक निर्णय ने करोड़ों भारतवासी को खुश कर दिया। हालांकि सामान्य लोगों को इससे क्षणिक कोई लाभ नहीं दिखता, लेकिन हमारी राष्ट्रीयता, राष्ट्रवादी भावना और राष्ट्रीय एकता की जब जब बात आएगी तब तब यह फैसला लाभान्वित करने का एहसास दिलाएगा। न केवल 370 को हटाया गया, बल्कि एक साथ चार फैसले लिए गए। लद्दाख को अलग कर के केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह इंदिरा गांधी के साहसिक फैसले को विरोधियों का भी समर्थन मिलता था, ठीक उसी तरह मोदी कैबिनेट के इस फैसले को बहुत से विरोधियों ने भी समर्थन दिया है। इतिहास में ऐसे साहसिक फैसले यदा कदा ही दिखते हैं।

mkumarbaluachak@rediffmail.com

बड़ा फैसला

संपादकीय, 'बड़े फैसले का इंतजार' अभी खत्म हो गया है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने का एलान कर के मोदी सरकार ने साहसपूर्ण कदम उठाया है। राजकीय गतिविधियां जिस तरह तेजी से बदल रही थीं, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि कश्मीर का हल ढूंढने के लिए भारत सरकार कोई बड़ा फैसला करने जा रही है। वही हुआ भी। कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत किए किए जाने से कश्मीरी नेता ही नहीं, पाक नेता भी परेशान हो गए थे। कश्मीर के विकास का रोड़ा बने 370 की वास्तविकता को कश्मीरी भी भली भांति समझ गए हैं। कश्मीर को स्वतंत्रता का दर्जा बहाल करने से विकास अवरुद्ध हुआ था। इस अवरोध को दूर करने के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध होने का भरोसा बार बार जताती रही है। क्या कश्मीरी नेताओं को घाटी को सदैव आतंकित रखकर ही राजनीति करनी होती है। अब उम्मीद है कि कश्मीरी नागरिक मुख्य धारा से जुड़ेंगे। जिसकी वजह से घाटी में गोलियों की आवाज नहीं गूंजेगी। अब घाटी में भाईचारे का माहौल तो बनेगा ही, विकास की मुख्यधारा से सभी कश्मीरी जुड़ जाएंगे। आतंकवाद को खत्म करने का यह बेहतरीन कदम है। मंजिल तो दूर है, राह आसान नही है, पर मुमकिन है।

डॉ. नूतनकुमार सी.पाटणी, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय
ादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं स ा हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय ीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।